



Neutral Citation No. – 2026:AHC:174712

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-29160 वर्ष 2026

उमेश कुमार

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता:

मोहम्मद असलम

विपक्षीगण के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद असलम तथा राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने की अवधि में, मुकदमा अपराध संख्या-92 सन् 2025, धारा 80(2), 85, 92 भा.न्या.सं. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर के अधीन आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यद्यपि, यह आवेदक की ओर से दाखिल दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र है और आवेदक का पहला जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2026 को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए खारिज किया जा चुका है कि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की हत्या उसके ससुराल में हुई है तथा आवेदक अपनी पत्नी की हत्या की मृत्यु स्पष्ट करने में विफल रहा, परंतु वर्तमान मामले में आवेदक मई, 2025 से अर्थात् पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में है।
5. उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि लगभग सभी तथ्य के गवाहों की परीक्षा विचारण न्यायालय द्वारा की जा चुकी है और उनके बयानों से यह परिलक्षित होता है कि आवेदक निर्दोष है।
6. उन्होंने आगे कहा कि इसलिए, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
7. दूसरी ओर, विद्वान अ.शा.अधि. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि यह आवेदक की ओर से दाखिल दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र है और आवेदक का पहला जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर खारिज किया जा चुका है तथा आवेदक के पहले जमानत प्रार्थना पत्र के खारिज होने के छह महीने के भीतर उसने बिना किसी नए आधार के वर्तमान दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। अतः, वर्तमान दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकता है।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. यह आवेदक की ओर से दाखिल दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र है और आवेदक का पहला जमानत प्रार्थना पत्र इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए खारिज किया जा चुका है कि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु गला घोटने से हुई तथा आवेदक अपनी पत्नी की हत्या की मृत्यु स्पष्ट करने में विफल रहा। वर्तमान दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित दो आधारों पर दाखिल किया गया है:-
- (क) आवेदक पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में है; तथा
- (ख) लगभग सभी तथ्य के गवाहों की परीक्षा विचारण न्यायालय द्वारा की जा चुकी है और उनके बयानों से, जो वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र में संलग्न किए गए हैं, प्रथम दृष्टया आवेदक निर्दोष प्रतीत होता है।
10. जहां तक पहले आधार का संबंध है, आवेदक मृतका का पति है और उसके विरुद्ध आरोप काफी गंभीर हैं तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसकी पत्नी की हत्या उसके ससुराल में हुई है, इस न्यायालय की राय में, केवल आधार (क) पर आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।
11. इसके अलावा, जहां तक दूसरे आधार का संबंध है, विधि स्थापित है कि जमानत के चरण में इस न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।
12. इसके अलावा, अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि स्वीकार्य रूप से तथ्य के गवाह प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, इसलिए, यदि उनके बयानों से आवेदक निर्दोष प्रतीत भी होता है तो भी इससे शायद ही कोई फर्क पड़ता है। यह आवेदक का कर्तव्य था कि वह अपने घर में हुई अपनी पत्नी की हत्या की मृत्यु स्पष्ट करे परंतु वह ऐसा करने में विफल रहा।
13. अतः, मामले के उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से आवेदक, जो मृतका का पति है, जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण की अवधि में मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

19 अगस्त, 2026

ए.के. पांडे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”